तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित :** श्री एस.पी.सिंह, अभिभाषक प्रार्थी । श्री एल.के.पण्ड्या, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान उपखंड अधिकारी भादरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–7–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी भीमसिंह ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर नोहर कैंप भादरा के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया। जिसे सहायक कलेक्टर ने अपने एक पक्षीय निर्णय दिनांक 20–2–84 द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त एक पक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीया द्वारा 12 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध की गई इकतरफा कार्यवाहीं को निरस्त करने का निवेदन किया। सहायक कलेक्टर भादरा ने अप्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 16–4–98 के द्वारा खारिज किये जाने पर अप्रार्थीया द्वारा उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर अप्रार्थीया की अपील आदेश दिनांक 19–2–99 द्वारा स्वीकार करत हुये पत्रावली पुनः निर्णय हेतु उपखंड अधिकारी भादरा को प्रतिप्रेषित कर दी। प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में उपखंड अधिकारी भादरा ने अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपसी आदेश दिनांक 2–7–02 द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाहीं करते हुये वाद डिक्री किया था। अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस तामील करवाये गये थे किंतु वे परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं होये। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी का वाद एकपक्षीय डिक्री किया था। अप्रार्थीगण को निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी बिना कोई ठोस कारण व आधार के वाद डिक्री होने के 12 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया था। जिसे कानूनी प्रावधानों के विपरीत बिना किसी आधार के उपखंड अधिकारी द्वारा आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीया को वाद की जानकारी थी तथा वह जानुबुझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई थी तथा उसे विधिवत् तामील कराई गई थी। उसेके बावजूद उसने बिना किसी ठोस कारण अंकित किये आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो मियाद के आधार पर खारिज योग्य था। किंतु उपखंड अधिकारी ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये अप्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्रावधानों के विपरीत स्वीकार कर लिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 2–7–02 निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीया ने बहस में कहा कि प्रार्थी का वाद एकतरफा डिक्री किया गया था जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जानकारी होने के बाद की तिथि से मियाद प्रारम्भ होती है तथा एकपक्षी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मियाद आडे नहीं आती। क्योंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत् तामील नहीं करवाई थी। अप्रार्थीगण को प्रकृति के न्यायिक सिद्वांत सुनवाई के अवसर से वंचित नहीं किया जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	सकता। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी ने अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के साथ सलंग्न पत्रावली, दस्तावेज व आलोच्य आदेश का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में एकपक्षीय कार्यवाहीं करते हुये वाद को उपखंड अधिकारी द्वारा डिक्री किया गया था तथा उक्त एकपक्षीय कार्यवाहीं को निरस्त करवाने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी उपखंड अधिकारी द्वारा खारिज किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसे अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुये उपखंड अधिकारी भादरा को पुनः निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना में उपखंड अधिकारी ने अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी इस आधार पर स्वीकार किया है कि मु0 सुन्दर को बिना सुने जो डिक्री पारित हुई है उससे सुन्दर को अपूर्णीय नुकसान हुआ है और यदि उसे सुनवाई का अवसर दिया जाता है तो प्राकृतिक न्याय की मंशा पूर्ण होगी और निर्णय वही होगा जो कानून की मंशा होगी तथा प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से एकपक्षीय पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने से किसी पक्ष के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हमारी सुविचारित राय में किसी पक्ष को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अर्थात सुनवाई के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। उपखंड अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार करने से उसे वाद में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि अप्रार्थीगण द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु 12 वर्ष बाद आदेश 9 निम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य था। एकपक्षीय पारित निर्णय व डिक्री में मियाद इसलिये आडे नहीं आती क्योंकि व्यथित पक्ष को उसे के विरूद्ध पारित निर्णय की जानकारी नहीं होती। वैसे भी मियाद क्षम्य करना अथवा न करना पिठासीन अधिकारी को स्वविवेकीय अधिकार है जो प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि परीलक्षित होना जाहिर करने में पूर्णतः असफल रहे है। निगरानी का क्षेत्र सीमित है तथा निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–7–02 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हस्तगत् निगरानी खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

निगरानी / टी.ए./ 3528 / 2002 / जिला हनुमानगढ
भीमसिंह बनाम श्रीमती सुन्दर वगैरह